प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त उप निदेशक मत्स्य/
सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंत्राकः–2032/कोविड–19/कैम्प/निदेशक मत्स्य/2020–21 लखनऊः दिनांकः 15 अप्रैल ,2020

विषय– कोरोना वायरस (कोविड–19) की रोकथाम के प्रभावी लाक–डाउन अवधि में **मत्स्य उत्पाद, मत्स्य बीज, एवं मत्स्य पूरक आहार आदि की बिकी, एवं उनके यातायात व मत्स्याखेट प्रबन्धन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रदेश में अनुमन्य** किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के मत्स्य उत्पादन अनुभाग के शासनादेश संख्या–11/2020/452(1)/ सत्रह–म–2020–कोविड– 19–6–9(79)/17 दिनांकः–15.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त आदेश के द्वारा भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–40–3/2020–DM–I(A) दिनांक 10.04.2020 एवं अद्यतन संशोधित आदेश/समेकित दिशा निर्देश दिनांक 15. 04.2020 के अनुपालन में कोरोना वायरस (कोविड–19) की रोकथाम के प्रभावी लाक–डाउन अवधि में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य बीज, एवं मत्स्य पूरक आहार आदि की बिकी, एवं उनके यातायात व मत्स्याखेट प्रबन्धन सम्बन्धी गतिविधियों को, इससे सम्बन्धित व्यक्तियों एवं परिवहन के वाहनो का पास निर्गत कराये जाने के लिये जनपदीय विभागीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाते हुये लाक डाउन की अवधि में सामाजिक दूरी बनाये रखने तथा सैनिटाइजेशन व स्वच्छता के मानको का पालन करते हुये जिला प्रशासन के निर्देशन में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य उत्पादन निवेशों एवं मत्स्य प्रबन्धन कार्यो को प्रदेश में अनुमन्य किया गया है। अतः उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

प्रदेश स्तर पर मछली उत्पादों, मछली/मत्स्य निवेशों के परिवहन एवं मत्स्य विक्रय कार्यो में यदि किसी जनपद में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके निदान के लिये मण्डलीय विभागीय अधिकारी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुये प्रकरण का त्वरित निस्तारण अपने निर्देशन में सुनिश्चित करायेगें। नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जनपदीय मत्स्य प्रभारी जिला प्रशासन के मार्ग निर्देशन में अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेगें। यदि जनपद एवं मण्डल स्तर पर किसी समस्या का निराकरण नही हो पा रहा है तो उस स्थिति में निदेशालय में स्थापित **कन्ट्रोल रूम (दूरभाष संख्या–0522–2742762)** एवं ई–मेल fisheries.mpr@gmail.com पर अवगत करायेगें।

प्रत्येक मण्डलीय विभागीय अधिकारी अपने मण्डल के सम्बन्धित जनपदों में लाक डाउन की अवधि में मत्स्य उत्पाद एवं मत्स्य निवेश से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु सप्लाई चैन की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाये रखने एवं जनपदीय अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यो के अनुश्रवण करने हेतु उत्तरदायी होगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय
15/4/2020
(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य।

पंत्राकः– /कोविड–19/कैम्प/निदेशक मत्स्य/2020–21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रबन्ध निदेशक, मत्स्य विकास निगम लि0, उ0प्र0, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, मत्स्य जीवी सहकारी संघ, उ0प्र0, लखनऊ।
4– उप निदेशक मत्स्य, नियोजन,मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य।

Scanned with CamScanner

कोविड–19

पत्रांक– 11 / 2020 / 452 / सत्रह–म–2020–कोविड–19–6–9(79) / 17

प्रेषक,

भुवनेश कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊः दिनांकः 15 अप्रैल ,2020

विषय– नोवेल–कोरोना वायरस (कोविड–19) की रोकथाम के प्रभावी लाक–डाउन की अवधि में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार की बिकी, उनके यातायात और मत्स्याखेट प्रबन्धन आदि की गतिविधियों को अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं0–40–3 / 2020–DM–I(A) दिनांक 10.04.2020 एवं अद्यतन संशोधित आदेश / समेकित दिशा निर्देश दिनांक 15.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेशों के द्वारा अन्तर्स्थलीय मत्स्य पालन, प्रबन्धन एवं व्यवसाय और इससे जुड़ी समस्त गतिविधियों को, सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता की व्यवस्था बनाये रखते हुये तथा लाक–डाउन की अवधि हेतु प्रभावी अन्य दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य किया गया है।

2– मछली एक प्रोटीनयुक्त मांसाहार खाद्य पदार्थ है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अतः जनपयोग हेतु इसकी उपलब्धता बनाए रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मत्स्य उत्पाद शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ होने के कारण इनकी बिकी को लाक–डाउन की अवधि में अनुमति नही दिये जाने से निर्धन मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों की आजीविका प्रभावित होगी। इसी के दृष्टिगत थोक एवं फुटकर मत्स्य विकेताओं एवं उनके प्रतिनिधि संगठन और मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों की आजीविका प्रभावित होने के कारण मछली बिकी, मत्स्य उत्पादों के यातायात व निवेशों की उपलब्धता बहाल किये जाने की निरन्तर मांग की जा रही है।

3– अतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश सं0–40–3 / 2020–DM–I(A) दिनांक 24.03.2020 एवं उक्त आदेश के पांचवे एडेण्डम के रूप में जारी आदेश दिनांक 10.04.2020 एवं अद्यतन संशोधित आदेश / समेकित दिशा निर्देश दिनांक 15.04.2020 के अनुपालन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों सहित मछली उत्पादकों, मत्स्य विकेताओं मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार के उत्पादन एवं वितरण से सम्बन्धित व्यक्तियों, व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठानों तथा उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने हेतु परिवहन कार्यो से जुडे वाहनो के पास निर्गत कराये जायें। इस कार्य हेतु जनपदीय विभागीय अधिकारी नोडल अधिकारी होगें। लाक–डाउन की अवधि में सामाजिक दूरी बनाये रखने तथा सैनिटाइजेशन एवं स्वच्छता के मानकों का पालन करते हुये जिला प्रशासन के निर्देशन में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य उत्पादन निवेशों एवं मत्स्य प्रबन्धन कार्य का सम्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4– उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर आने वाली परिवहन एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया जायेगा, जो प्रातः 08:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक संचालित किया जायेगा।

भवदीय

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

पत्रांक– 11 / 2020 / 452(1) / सत्रह–म–2020–कोविड–19–6–9(79) / 17 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग, मत्स्य, पशुपालन एवं दुग्ध मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– निदेशक राज्य कृषि मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश।
10– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
11– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
12– समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कायकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner